

मुख्य तथ्य कथन

भाग 1 (ब्याज दर और शुल्क/प्रभार)

तारीख:

1	ऋण प्रस्ताव / खाता नंबर		ऋण का प्रकार		Gold Loan	
2	स्वीकृत ऋण राशि (₹)					
3	संवितरण का कार्यक्रम (i) चरणों में या 100% अग्रिम संवितरण। (ii) यदि यह चरणवार है, तो प्रासंगिक विवरण वाले ऋण अनुबंध के खंड का उल्लेख करें			100% upfront		
4	ऋण की अवधि (वर्ष/महीने/दिन)			महीने		
5	पुनः भुगतान कार्यक्रम					
	क्रिस्त सं.	भुगतान की तारीख	शुरूआती मूलधन (in ₹)	मूलधन का पुनर्भुगतान (in ₹)	ब्याज (in ₹)	कुल पुनर्भुगतान (in ₹)
	कुल					
6	ब्याज दर (%) और प्रकार (फिक्स्ड या फ्लोटिंग या हाइब्रिड)			Fixed		
7	फ्लोटिंग ब्याज दर से संबंधित अतिरिक्त जानकारी					
संदर्भ बेंचमार्क	बेंचमार्क दर(%) (बी)	प्रसार(%) (एस)	अंतिम दर(%) $R = (B) + (S)$	आवधिकता(महीने) को रीसेट करें		संदर्भ बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव (25 बीपीएस परिवर्तन के लिए 'आर' में, परिवर्तन: 3)
				B	S	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	शुल्क/प्रभार					
		आरई(ए) को देय		आरई (बी) के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय		
		एक बार/ आवर्ती	राशि (₹ में) या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो	एक बार/आवर्ती		राशि (₹ में) या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो
(i)	बीमा शुल्क	One time				
(ii)	बीमा शुल्क	One time				
(iii)	मूल्यांकन शुल्क	NA	NA			
(iv)	SMS शुल्क	मासिक	₹7 GST सहित			
9	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%)					
10	आकस्मिक शुल्क का विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो)					

Signed by OTP ()



(i)	विलंबित भुगतान के मामले में दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो	3% per month	
(ii)	अन्य दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो	NA	
(iii)	पूर्वभुगतान जुर्माना/फौजदारी प्रभार, यदि लागू हो	दिन	प्रतिशत
		0-5 दिन	2% + 18% GST
		6-10 दिन	1% + 18% GST
		>10 दिन	0%
(iv)	फ्लोटिंग से फिक्स्ड दर पर ऋण परिवर्तित करने तथा इसके विपरीत शुल्क	NA	
(v)	एमटीएम शुल्क	500	
(vi)	कैश हैंडलिंग चार्ज	25 रुपये या जीएसटी सहित नकद लेनदेन का 0.25% (जो भी अधिक हो)	
(vii)	नीलामी पूर्व शुल्क	200	
(viii)	नीलामी पश्चात शुल्क	1500	
(ix)	ऋण कार्यकाल विस्तार शुल्क	0.15% + 18% GST	
(x)	भाग रिलीज शुल्क	अनुरोधित ऋण राशि	शुल्क
		₹2,00,000 पेक्षा कमी	₹150 + 18% GST
		₹2,00,001 से ₹7,00,000 से कम	₹300 + 18% GST
		₹7,00,001 और उससे अधिक	₹500 + 18% GST
(xi)	SOA - डिजिटल प्रति	निःशुल्क	
(xii)	SOA - भौतिक प्रति	₹50 + 18% GST	

अन्य गुणात्मक जानकारी

1	ऋण अनुबंध की धारा जो पुनः प्राप्ति एजेंट्स की नियुक्ति से संबंधित है	मानक शर्तों और शर्तों की धारा 9.4 के तहत
2	ऋण अनुबंध की वह धारा जो शिकायत निवारण तंत्र का विवरण देती है	मानक शर्तों और शर्तों की धारा 9.14 के तहत
3	नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फोन नंबर और ईमेल आईडी	मानक शर्तों और शर्तों की धारा 9.14 के तहत
4	क्या ऋण का आज या भविष्य में अन्य विनियमित संस्थाओं को हस्तांतरण या प्रतिभूतिकरण किया जा सकता है (हां/नहीं)	मानक शर्तों और शर्तों की धारा 9.5 & 9.6 के तहत
5	सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था (जैसे, सह-ऋण/आउटसोर्सिंग) के अधीन ऋण देने पर, निम्न अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:	
	मूल आरई का नाम, साथ ही इसके वित्तपोषण का अनुपात	साझेदार आरई का नाम तथा उसके वित्तपोषण का अनुपात
	*सीएलएम2 के मामले में, साझेदार आरई का नाम संवितरण के बाद खाता विवरण में दर्शाया जाएगा।	
6	डिजिटल ऋण के मामले में, नीचे दिए गए विशिष्ट खुलासे पेश किए जा सकते हैं:	
(i)	आरई की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि के दौरान ऋणी से ऋण के पूर्व-भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।	NA
(ii)	वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले तथा ऋणी से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण	NA

एपीआर गणना का चित्रण

S No.	पैरामीटर	विवरण
1	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)	
2	ऋण अवधि	महीने
(a)	गैर-समान आवधिक ऋणों के मामले में, मूलधन के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या	1
(b)	ईपीआई का प्रकार प्रत्येक ईपीआई की राशि (रुपये में) संख्या ईपीआई की संख्या (उदाहरण के लिए, मासिक के मामले में ईएमआई की संख्या)। किश्तें)	NA
(c)	पूँजीगत ब्याज के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या, यदि कोई	NA
(d)	मंजूरी के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत	
3	ब्याज दर	Fixed
4	ब्याज दर प्रकार (निश्चित या अस्थायी या अर्ध-निश्चित)	
5	संपूर्ण अवधि के दौरान ली जाने वाली कुल ब्याज राशि प्रचलित दर के अनुसार ऋण की अवधि स्वीकृति तिथि. (रुपये में)	
6	देय शुल्क/प्रभार (रुपये में)	
(a)	आरई को देय	
(b)	आरई के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय	
7	शुद्ध संवितरित राशि (1-6) (रुपये में)	
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (1 और 5 का योग) (रुपये में)	
9	वार्षिक प्रतिशत दर - प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में)	
10	शर्तों के अनुसार संवितरण की अनुसूची और स्थितियाँ	NA
11	किस्त और ब्याज के भुगतान की नियत तारीख	NA

- यह मुख्य तथ्य विवरण मंजूरी पत्र की तारीख से 3 कार्यदिवस के लिए वैध है। जारी किए गए मंजूरी पत्र के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव मंजूरी पत्र और मुख्य तथ्य विवरण को फिर से जारी करने की ओर ले जाएगा।
- यह पुष्टि करने के लिए है कि मुझे/हमें मेरे/हमारे द्वारा लागू किए गए ऋण के संबंध में मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) (वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर), शुल्क और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित) की एक प्रति साझा की गई है।
- ऋण का विवरण और मुख्य तथ्य विवरण की सामग्री मुझे/हमें अच्छी तरह से समझा दी गई है और मैं/हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने इसे पढ़ लिया है, समझ लिया है और इससे सहमत हैं।

ऋण आवेदन प्रपत्र

ऋण आवेदन संख्या	शाखा का नाम	ऋण राशि	सीयूआईडी संख्या	ऋण खाता संख्या	राष्ट्रीयता
		₹			भारतीय

व्यवसाय विवरण

आय का स्रोत	सकल वार्षिक आय	पेशा
	₹	

ऋणी का फोटो

pic

व्यक्तिगत विवरण

आवेदक का नाम: श्रीमान/श्रीमती/सुश्री		पता:	
लिंग:			
वैवाहिक स्थिति:		शहर:	
जन्म की तारीख:		पिन कोड:	
योग्यता:		राज्य:	
मेल पता:		सीमाचिह्न:	
प्राथमिक संपर्क नंबर:		वर्तमान निवास के वर्षों की संख्या:	
पैन कार्ड नंबर /फॉर्म 60:			

बैंक विवरण

शाखा का नाम	बैंक शाखा का नाम	बैंक खाता संख्या	आईएफएससी कोड

नामांकित व्यक्ति का विवरण

नामांकित व्यक्ति का नाम	नामांकित व्यक्तिसंबंध	नामांकित व्यक्ति का फ़ोन नंबर



Documents

व्यक्तिगत: 1) फोटो पहचान प्रमाण 2) निवास प्रमाण स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध केवाईसी प्रलेखन नीति www.capriglobal.in पर देखें

मैं/हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया उपरोक्त राशि के लिए सुरक्षा के रूप में कुल ग्राम आभूषण लेकर ₹ (Rupees) की उपर्युक्त राशि प्रदान करने की कृपा करें। सोने का विवरण नीचे दिया गया है।

गिरवी रखे गए वस्तुओं का विवरण

विवरण	इकाइयों	शुद्धता(कैरेट में)	कुल वजन (ग्राम में)	वित्तपोषण के लिए विचारित शुद्ध भार (ग्राम में)
कुल				

आभूषण फोटोग्राफी

pic

22 कैरेट ग्राम में आनुपातिक शुद्ध वजन

स्वर्ण मूल्यांकनकर्ता का नाम:

स्वर्ण मूल्यांकक कर्मचारी कोड:

मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ और वचन देता/देती हूँ कि ऋण प्राप्त करने के लिए गिरवी रखे गए सोने की शुद्धता 18.00 कैरेट से कम नहीं है, तथापि यह तथ्य सीजीसीएल/सीजीसीएल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा पुनः पुष्टि के अधीन है, जिसका निर्णय अंतिम होगा और मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी होगा ("ऋणदाता का रिकॉर्ड")। गिरवी रखे गए सोने का मूल्य बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा उद्धृत पिछले 30 दिनों के 22 कैरेट सोने के समापन मूल्य के औसत के अनुसार या विनियमित क्मोडिटी एक्सचेंज द्वारा प्रकाशित ऐतिहासिक हाजिर सोने की कीमत के अनुसार निकाला जाएगा।

सबसे महत्वपूर्ण नियम व शर्तें

स्वर्ण ऋण आवेदन संख्या:

ऋण खाता संख्या:

- A. हम नीचे वर्णित सुविधा के अनुदान के लिए दिनांकित: आवेदन पत्र का संदर्भ देते हैं।
- B. ऋणी यह स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि नीचे उल्लिखित नियम और शर्तें सुविधा के लिए आवेदन में सबसे महत्वपूर्ण हैं (और जो सुविधा के संबंध में उधारकर्ता पर लागू होंगी, यदि सुविधा के लिए अनुरोध ऋणदाता द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है) और उन्हें आवेदन प्रपत्र और मानक शर्तों (स्वर्ण ऋण सुविधा) के साथ पढ़ा जाएगा:
- आवेदक का नाम: श्री/सुश्री/श्रीमती
 - सुविधा : गोल्ड लोन
 - योजना :
 - मूल धन : ₹
 - अवधि : Months (Subject to Standard Terms)
 - ब्याज की दर : % प्रति वर्ष एक निश्चित ब्याज दर पर
 - गणना का तरीका : साधारण ब्याज दर
 - ब्याज भुगतान की देय तिथि: उल्लिखित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार
 - ब्याज और मूल राशि के लिए पुनर्भुगतान विधि: उल्लिखित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार
 - पुनर्भुगतान मोड: नकद (19,999/- रुपये से अधिक नहीं) / आरटीजीएस / एनईएफटी / मोबाइल एप्लिकेशन या ऑनलाइन मोड।
 - मूल देय तिथि : (मानक शर्तों के अधीन)
 - अतिदेय दिनों के लिए अतिदेय राशि पर दंडात्मक शुल्क: 3% प्रति माह
 - कैश हैंडलिंग चार्ज : 25 रुपये या जीएसटी सहित नकद लेनदेन का 0.25% (जो भी अधिक हो)
 - SMS शुल्क : ₹7 प्रति माह (GST सहित)
 - ऋण का उद्देश्य :
 - गिरवी : सुविधा को सुरक्षित करने के लिए स्वर्ण आभूषणों को सीजीसीएल के पास जमा कर दिया गया है तथा मूल्यांकन के लिए केवल गिरवी रखे गए वस्तुओं के स्वर्ण भाग पर ही विचार किया जाएगा।
 - उधारकर्ताओं के पते/ईमेल/मोबाइल सहित पत्राचार विवरण में कोई बदलाव होने पर, ऋणियों को सीजीसीएल को लिखित रूप में लागू सहायक केवाईसी या अन्य दस्तावेज के साथ सीजीसीएल को सूचित करना होगा ताकि सीजीसीएल के रिकॉर्ड में उनके पत्राचार विवरण को अपडेट किया जा सके। इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति पर, सीजीसीएल उधारकर्ता द्वारा इस तरह के अनुरोध को प्राप्त करने की तारीख और समय का उल्लेख करते हुए एक रसीद/लिखित या इलेक्ट्रॉनिक पुष्टि जारी करेगा। सीजीसीएल उधारकर्ताओं के पत्राचार विवरणों को अपने रिकॉर्ड में अधिमानतः ऐसी सूचना प्राप्त होने से 30 दिनों की अवधि के भीतर अपडेट करेगा। यदि उधारकर्ता अपने पत्राचार विवरण में इस तरह के परिवर्तन के बारे में सीजीसीएल को सूचित नहीं करते हैं, तो सीजीसीएल अपने सभी संचार, सूचनाएं, नोटिस आदि उधारकर्ताओं को उनके ऋण आवेदन पत्रों में उधारकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए अंतिम ज्ञात पते पर भेजेगा।
 - मार्जिन: ऋणियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर समय कुल बकाया राशि गिरवी रखी गई वस्तुओं के मूल्य के 75% से अधिक न हो। यदि कुल बकाया राशि गिरवी रखी गई वस्तुओं के मूल्य के 75% से अधिक हो जाती है, तो CGCL उधारकर्ताओं को इस तरह के बदलाव के बारे में तुरंत लिखित रूप में सूचित करेगा, यानी, उधारकर्ताओं को उनके अपडेट किए गए संचार पते और/या ईमेल पते/मोबाइल पर एसएमएस और/या ई-मेल और/या पंजीकृत ए.डी./और/या व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस के माध्यम से बकाया ऋण राशि का भुगतान करके या अतिरिक्त सुरक्षा गिरवी रखकर खाते को नियमित करने का अनुरोध किया जाएगा। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर उधारकर्ताओं को या तो CGCL को बकाया राशि का भुगतान करना होगा या ऐसी सूचना प्राप्त होने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर अतिरिक्त सुरक्षा गिरवी रखनी होगी। उधारकर्ताओं के साथ सभी पत्राचार CGCL द्वारा उधारकर्ताओं के अपडेट किए गए पते और/या ई-मेल पते/मोबाइल/और/या व्हाट्सएप पर किए जाएंगे और इसकी डिलीवरी का प्रमाण CGCL द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा।
 - नीलामी: शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में सीजीसीएल अपनी नीति के अनुसार सोने की नीलामी कर सकती है।
 - CGCL ऋण राशि, ऋण मूल्य अनुपात और अवधि जैसे व्यापक मापदंडों को ध्यान में रखते हुए जोखिम-आधारित मूल्य निर्धारण दृष्टिकोण का पालन

Signed by OTP ()



कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 502, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल,
मुंबई • ईमेल: caregl@capriglobal.in | टोल फ्री नंबर: 1800-102-102-1.

CAPRI
LOANS



करता है। लागू ब्याज दर मजूरी के समय कपनों की धनराशि की लागत और प्रचलित बाजार दरों पर निर्भर करता है। सभी फीस और शुल्कों का विवरण हमारी वेबसाइट www.capri loans.in पर उपलब्ध है।



शुल्कों की तालिका (करों के अतिरिक्त)

विवरण	शुल्क
प्रसंस्करण शुल्क	₹
एमटीएम शुल्क	₹ 500
नीलामी-पूर्व शुल्क	₹ 200
नीलामी-पश्चात शुल्क	₹ 1500
राज्य के अनुसार लागू फ्रैंकिंग शुल्क, उपकर सहित	₹
कैश हैंडलिंग चार्ज(जीएसटी सहित)	
SMS शुल्क (प्रति माह लागू)	₹7 GST सहित
ऋण कार्यकाल विस्तार शुल्क	0.15% + 18% GST
SOA - डिजिटल प्रति	Free
SOA - भौतिक प्रति	₹50 + 18% GST
पूर्वभुगतान जुर्माना/फौजदारी प्रभार	नीचे दिए गए ग्रेड के अनुसार
दिन	प्रतिशत
0-5 दिन	2% + 18% GST
6-10 दिन	1% + 18% GST
>10 दिन	0%
भाग रिलीज शुल्क	नीचे दिए गए ग्रेड के अनुसार
अनुरोधित ऋण राशि	शुल्क
₹2,00,000 पेक्षा कमी	₹150 + 18% GST
₹2,00,001 से ₹7,00,000 से कम	₹300 + 18% GST
₹7,00,001 और उससे अधिक	₹500 + 18% GST

यदि लागू हो तो छूट (ब्याज के शीघ्र भुगतान पर% छूट लागू है जैसा नीचे तालिका में दिया गया है)

रिबेट स्टेप-अप स्कीम के तहत, रिबेट केवल तभी लागू होता है जब भुगतान करने की तारीख तक संचित पूरा ब्याज का भुगतान किया जाता है।

बकेट	% छूट
XX-XX दिन	0% प्रति वर्ष
XX-XX दिन	0% प्रति वर्ष
XX-XX दिन	0% प्रति वर्ष
XX-XX दिन	0% प्रति वर्ष
XX-XX दिन	0% प्रति वर्ष

- ऋणी पुष्टि करता है कि उसे प्रत्येक लेनदेन के दस्तावेज की एक प्रति प्राप्त हुई है व इस बात से सहमत है कि यह पत्र लेनदेन दस्तावेज का हिस्सा है।
- उधारकर्ता समझता है कि सभी भुगतान रसीदें केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान की जाती हैं। हालाँकि, यदि भुगतान की भौतिक रसीद आवश्यक है, तो कृपया इसे हमारी शाखा से प्राप्त करें।
- मैं इस बात को समझता/समझती हूँ और अपनी सहमति देता/देती हूँ कि आवेदन पत्र जमा करके मैं एक या एक से अधिक ऋणों के लिए आवेदन कर सकता/सकती हूँ और कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड ("कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड" या "ऋणदाता") ऐसे ऋण (ऋणों को) (प्रत्येक एक "ऋण" या "सुविधा") देने के लिए सहमत हो सकता है, जो आवेदन पत्र, एमआईटीसी एवं पक्षों के मध्य आदान-प्रदान किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज (सामूहिक रूप से "लेनदेन दस्तावेज" के रूप में संदर्भित) के साथ पढ़े गए इन नियमों एवं शर्तों ("मानक शर्तें") द्वारा शासित हैं या होंगे। कोई भी शब्द या वाक्यांश जिसका उल्लेख किया गया है लेकिन यहां परिभाषित नहीं है, उनका अर्थ वही होगा जो आवेदन पत्र और एमआईटीसी और लेनदेन दस्तावेजों में उल्लिखित अन्य नियमों और

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 502, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल,
मुंबई • ईमेल: caregl@capriglobal.in | टोल फ्री नंबर: 1800-102-102-1.



शर्तां में दिया गया है। ऋणी ने यहां उल्लिखित मानक शर्तां सहित ऐसे ऋण को नियंत्रित करने वाले सभी नियमों और शर्तां को पढ़ा, समझा, सहमत, स्वीकार और स्वीकार किया है। ऋणी ने यहां उल्लिखित मानक शर्तां सहित ऐसे ऋण को नियंत्रित करने वाले सभी नियमों और शर्तां को पढ़ा, समझा, सहमत, स्वीकार और मान लिया है।

- D. मैं/हम यह घोषित करते, समझते और पुष्टि करता हूँ कि उपर्युक्त सोने की शुद्धता कम से कम 18.00 कैरेट है, हालाँकि यह सीजीसीएल (CGCL) द्वारा नियुक्त अधिकृत लेखा परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा पुनः पुष्टि के अधीन है, जिनका निर्णय अंतिम होगा और ऋणी पर बाध्यकारी होगा। गिरवी रखे गए सोने का मूल्य बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा पिछले 30 दिनों तक उद्धृत 22 कैरेट सोने के बंद भाव के औसत या विनियमित कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा प्रकाशित ऐतिहासिक हाजिर सोने के मूल्य के अनुसार निकाला गया है।
- E. मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि इन मानक शर्तां को मैं ऋणदाता के सिस्टम द्वारा मुझे भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को सत्यापित करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकार कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि ओटीपी के माध्यम से ऐसा सत्यापन इन मानक शर्तां की मेरी स्वीकृति का निर्णायक साक्ष्य होगा और यह मेरे लिए बाध्यकारी होगा।



ग्राहक की उद्घोषणा

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी (इसके बाद सभी व्याकरणिक विविधताओं के साथ "मैं" या "ऋणी" के रूप में संदर्भित किया गया है और इस शब्द में उनके उत्तराधिकारी, हस्तांतरित, नवप्रवर्तक और अनुमत समनुदेशी शामिल होंगे) प्रतिनिधित्व करते और घोषित करें कि-

- मैं भारत का एक नागरिक हूँ।
- मैंने दिवाला के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, न ही मेरे खिलाफ कोई दिवालिया/ दिवालियापन कार्रवाई शुरू की गई है।
- इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य और सही है।
- मैंने किसी अन्य ऋण ब्याज या किसी अन्य राशि के भुगतान में कोई चुक नहीं की है और मेरा नाम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की जानबूझकर चूक करने वालों की सूची और निर्यात एवं ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) की चेतावनी सूची या मनी लांड्रिंग रोधी या आतंकवाद के वित्त पोषण या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा आतंकवादी संबंधित गतिविधियों के संबंध में प्रकाशित किसी प्रतिबंध सूची में नहीं है।
- मैं सोने के आभूषणों और अन्य वस्तुओं ("गिरवी रखी गई वस्तुओं") का सच्चा और वैध स्वामी हूँ, जैसा कि उपर्युक्त सारणी ए के तहत और अधिक विस्तृत है, जिन्हें इस आवेदन प्रपत्र ("गिरवी रखी गई वस्तुओं") के तहत अनुरोध की गई सुविधा के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा जाना है और यदि कोई हो, गिरवी रखे गए माल के स्वामित्व के सत्यापन के लिए प्रदान किए गए स्वामित्व के दस्तावेजों के साथ-साथ लेनदेन दस्तावेजों में प्रदान की गई जानकारी भी सही और पूर्ण है और मेरे द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण सूचना को नहीं छिपाया गया है।
- मैं यहां दिए गए पते पर रह रहा हूँ और यही पता सभी संचार का मेरा पता है और अगर मेरे पते में कोई बदलाव हुआ तो मैं तुरंत कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड को सूचित करूंगा।
- मैं मानक शर्तों को पढ़ने और समझने की पुष्टि करता हूँ जो इस आवेदन पत्र के तहत अनुरोध की जा रही सुविधा पर लागू होंगे।
- मैं समझता हूँ कि इस सुविधा की स्वीकृति और इसके अंतर्गत किसी भी संवितरण की स्वीकृति कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के एकमात्र विवेकाधीन है, जिसके पास आवेदन को खारिज करने का अधिकार है और वह कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड किसी भी तरह से इस तरह की अस्वीकृति के लिए या मुझे इस तरह की अस्वीकृति के लिए सूचित करने में देरी के लिए जिम्मेदार / देनदार नहीं होगा। मैं समझता हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड और/या इसकी समूह कंपनियों को इस आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए फोटो और दस्तावेजों को अपने पास रखने का अधिकार है।
- मैं सीजीसीएल को उस सूचना में से किसी भी परिवर्तन के बारे में तुरंत सूचित करूंगा जिसके लिए स्पष्ट रूप से मेरे द्वारा इस तरह के अनुरोध प्राप्त करने की तारीख और समय का उल्लेख करते हुए सीजीसीएल द्वारा एक रसीद / लिखित या इलेक्ट्रॉनिक पुष्टि उत्पन्न की जाएगी, जैसा कि मामला हो सकता है, और सीजीसीएल के आधिकारिक रिकॉर्ड में इस तरह के बदलावों के अपडेशन के संबंध में पुष्टि सीजीसीएल द्वारा इस आवेदन प्रपत्र में निर्धारित तरीकों के माध्यम से मुझसे की जाएगी और इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर सूचित की जाएगी। ऋणी आगे सीजीसीएल और/या इसके समूह कंपनियों और/या इसके एजेंटों की आवश्यक और अधिक जानकारी/दस्तावेज प्रदान करने का वचन देता है। मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ, पुष्टि करता हूँ और करता हूँ कि यदि मैं ई-मेल, मोबाइल आदि सहित अपने अद्यतन संचार पते प्रदान करने में विफल रहता हूँ, तो सीजीसीएल नोटिस, सूचना आदि सहित सभी संचार सीजीसीएल के पास उपलब्ध मेरे ऋण आवेदन प्रपत्र में मेरे द्वारा प्रदान किए गए पते पर भेजे जा सकते हैं और सीजीसीएल द्वारा भेजा गया ऐसा संचार मुझ पर तामील किया गया समझा जाएगा और मैं किसी भी मामले में किसी भी संचार या किसी नोटिस की सेवा के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाऊंगा।
- मैं समझता हूँ कि कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के पास इस सुविधा पर लागू ब्याज दर को संभावित रूप से बदलने और शुल्क लगाने का विवेकाधिकार होगा और उसे मुझे सूचित किया जाएगा।
- मैं/हम ऋणी/एसे तीसरे पक्ष (जैसा कि आवश्यक हो) द्वारा कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड को ऋणी की केवाईसी और क्रेडिट संबंधी जानकारी/दस्तावेजों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय क्रेडिट सूचना ब्यूरो लिमिटेड, सीकेवाईसीआर एवं अन्य संस्थाओं सहित तीसरे पक्षों से प्राप्त करने के लिए दी गई सहमति को स्वीकार करते हैं और साथ ही यह भी सहमति देते हैं कि कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड स्वयं या अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से दी गई किसी भी जानकारी को सत्यापित कर सकता है, क्रेडिट संदर्भों, रोजगार विवरणों की जांच कर सकता है और ऋणी की वास्तविकता और/या ऋण पात्रता निर्धारित करने के लिए समय-समय पर केवाईसी संबंधित दस्तावेज या क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। मुझे/हमें कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड द्वारा अपने सहयोगियों, नियामक निकायों, सरकार, सीकेवाईसीआर और क्रेडिट एजेंसियों और अन्य ऐसे प्राधिकरणों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान और साझा करने पर कोई आपत्ति नहीं है, जैसा कि आवश्यक हो सकता है।
- मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे केवाईसी की जानकारी में कोई बदलाव नहीं आया है जैसा कि पहले ही कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड को प्रस्तुत किया जा चुका है, जो केवल पिछले आवेदन फॉर्म में टॉप-अप में लागू है। [नोट: उक्त शर्त केवल उधारकर्ता द्वारा प्राप्त पिछली सुविधा के नवीकरण/टॉप-अप की स्थिति में लागू होती है।]
- गिरवी रखे गए वस्तुओं का मूल्यांकन सीजीसीएल या सीजीसीएल द्वारा नियुक्त मूल्यांकक द्वारा किया जाएगा और ऋण राशि का निर्धारण सीजीसीएल द्वारा गिरवी रखी गई वस्तुओं के मूल्य के आधार पर किया जाएगा, जिसका उल्लेख मूल्यांककर्ता द्वारा पेश किए गए मूल्यांकन रिपोर्ट में होगा। ऐसा मूल्य समय-समय पर सोने की प्रतिभूति के बाजार मूल्य के अधीन होगा। यदि ऋण को मंजूरी दी जाती है तो ऋण की राशि का विवरण इस सुविधा का लाभ उठाने से संबंधित ऐसे अन्य कारकों पर विचार करने के साथ-साथ गिरवी रखे गए मर्दों के मूल्यांकन के अनुसार मंजूरी पत्र द्वारा और उसके तहत मुझे दिया जाएगा। मैं/हम लेनदेन दस्तावेज के नियमों व शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

- n. गिरवी रखी गई वस्तुएं और मेरे द्वारा सीजीसीएल (CGCL) को दी गई कोई अन्य प्रातिभूत सुविधा के अधीन बकाया राशि का पूर्ण भुगतान करने पर ही जारी की जाएगी, जिसमें मेरे द्वारा सीजीसीएल (CGCL) को कोई ब्याज, शुल्क, कर आदि शामिल हैं। यदि गिरवी रखी गई वस्तुओं का मूल्य मानक शर्तों के खंड 7 के अंतर्गत चूक की घटना घोषित करने के अधिकार/या गिरवी रखी गई वस्तुओं को बेचने के अधिकार और/या सीजीसीएल (CGCL) के पास उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपचार का प्रयोग करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समय-समय पर लागू सीजीसीएल (CGCL) के आवश्यक मार्जिन से कम हो जाता है, तो मैं/हम इस संबंध में सीजीसीएल (CGCL) से नोटिस मिलने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर, सीजीसीएल (CGCL) के स्व-विवेक के अनुसार, सीजीसीएल (CGCL) के पास ऐसी अतिरिक्त सुरक्षा जमा करेंगे, जिसकी आवश्यकता हो सकती है। किसी भी सामान्य ग्रहणाधिकार या समान अधिकार के अतिरिक्त, जिसका सीजीसीएल (CGCL) के सहयोगी के रूप में सीजीसीएल (CGCL) को कानून द्वारा अधिकार प्राप्त हो सकता है, सीजीसीएल (CGCL) किसी भी समय और बिना मुझे/हमें कोई नोटिस दिए सीजीसीएल (CGCL) के प्रति देयताओं की वसूली के लिए मेरे/हमारे सभी या किसी भी खाते को संयोजित या समेकित कर सकता है और किसी अन्य खाते में या किसी अन्य संबंध में सीजीसीएल (CGCL) के प्रति मेरी/हमारी किसी भी देयता की पूर्ति के लिए ऐसे किसी एक या अधिक खातों में जमा किसी राशि या राशियों को अलग या स्थानांतरित कर सकता है, चाहे ऐसी देयताएं वास्तविक हों या आकस्मिक, प्राथमिक हों या संपार्श्विक और कई हों या संयुक्त।
- o. मैं/हम वास्तविक आधार पर स्टॉप शुल्क और कानूनी लागत सहित सभी खर्चों, प्रभारों और व्यय का भुगतान करेंगे और ऋण से संबंधित और/या किसी आनुषंगिक दस्तावेज को तैयार करने में खर्च हुए अन्य प्रभारों और व्यय का भुगतान करेंगे। मैं/हम आपको सीजीसीएल के साथ रखे गए मेरे/हमारे खाते से किसी भी शुल्क/स्वर्ण ऋण की अदायगी के लिए डेबिट/क्रेडिट करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ।
- p. मैं/हम सहमत हूँ कि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में खातों का वर्गीकरण ऋणी के अनुसार किया जाता है और सुविधा के अनुसार नहीं और इसलिए यह उल्लेख किया गया है कि यहां लिए गए ऋण या सीजीसीएल से प्राप्त किसी भी सुविधा का मेरे द्वारा भुगतान नहीं किए जाने के मामले में और परिणामस्वरूप सीजीसीएल के साथ ऋणी के सभी अन्य ऋण खातों को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और यह सीजीसीएल को सीजीसीएल से एक ही ग्राहक द्वारा लिए गए ऐसे सभी ऋणों/सुविधाओं को वापस बुलाने का हकदार होगा, भले ही ऐसे ऋण खातों में नियमित/पुनर्भुगतान हो।
- q. मैं/हमें कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड और/या इसके समूह कंपनियों और/या इसके एजेंटों पर कोई आपत्ति नहीं है, जो कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड और/या इसके समूह कंपनियों द्वारा किसी भी माध्यम से (टेलीफोन कॉल, एसएमएस / एसएमएस / ईमेल, पत्र आदि सहित) प्रदान किए गए विभिन्न उत्पादों, पेशकशों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड और / या उसके समूह कंपनियों और / या इसके एजेंटों को उपरोक्त उद्देश्य के लिए अधिकृत करते हैं।
- r. मैं समझता हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि मेरे आवेदन पत्र की स्वीकृति की तारीख से लेकर मेरे ऋण खाते के बंद होने तक, सभी संचार जो ऋण के संवितरण तक सीमित नहीं हैं, बकायों की अदायगी, नियत तारीख की सूचना, मार्जिन या ऋण वापस लेने की सूचना, संपार्श्विक या संपर्क संख्या/बैंक विवरण/खाता विवरण/ नामांकित/केवाईसी विवरण आदि को जारी करना, जैसा भी मामला हो, मुझे एसएमएस/व्हाट्सएप के माध्यम से और/या मेरे पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इसमें किसी बात के होते हुए भी, ऋणदाता के पास पूर्वोक्त विवरणों को सूचित करने के लिए किसी अन्य माध्यम का उपयोग करने का विवेकाधिकार है और वह मुझे स्वीकार्य होगा। इसके अलावा, मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि जहां भी आवश्यक हो, सीजीसीएल की प्रणाली द्वारा वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) सृजित किया जाएगा और मेरे ऋण सृजन, ग्राहक आईडी सृजन, भुगतान और ऋण को बंद करने के लिए एसएमएस/व्हाट्सएप या पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से मेरे पंजीकृत नंबर पर प्राप्त किया जाएगा और मैं समझता हूँ कि ओटीपी के माध्यम से इस तरह का सत्यापन मेरे नाम पर ऋण देने या पूर्वोक्त विवरण में परिवर्तन के लिए मेरी स्वीकृति का निर्णायक सबूत होगा।
- s. मैं लेनदेन दस्तावेजों में मेरे द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों और जानकारी की वास्तविकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और सीजीसीएल किसी भी दोष या त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / लेनदेन दस्तावेजों में प्रदान की गई किसी भी जानकारी में दिखाई देता है।
- t. मैं समझता हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि सीजीसीएल को ऐसे किसी तीसरे पक्ष से संपर्क करने का अधिकार होगा, जहां से दस्तावेजों का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें दस्तावेजों/प्लेज आर्टिकल की वास्तविकता की जांच करने के लिए गिरवी रखे गए दस्तावेज शामिल हैं।
- u. मैं, अपनी सहमति देता/देती हूँ कि मेरी KYC रिकॉर्ड्स केंद्रीय KYC रजिस्ट्री (CKYCR) से केवल मेरी पहचान और पते की सत्यापन के उद्देश्य से डाउनलोड की जाए। मैं समझता/समझती हूँ कि मेरी KYC रिकॉर्ड्स में मेरी व्यक्तिगत जानकारी जैसे मेरा नाम, पता, जन्म तिथि, PAN नंबर आदि शामिल हैं।
- v. मैं यह घोषणा करता हूँ कि मुझे जो ऋण स्वीकृत किया गया है, वह निम्नलिखित गतिविधियों या उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, जो CGCL की ESG लेंडिंग नीति के अनुरूप हैं: पोर्नोग्राफी, मादक पदार्थ, तंबाकू, प्रतिबंधित वन्यजीव व्यापार, बिना वैधानिक मंजूरी वाले प्रदूषणकारी उद्योग, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुएं, जुआ, अवैध गतिविधियाँ, हथियार, कड़ी शराब (बीयर और शराब को छोड़कर), रेडियोधर्मी पदार्थ (केवल नियंत्रित चिकित्सा उपयोग के लिए), खतरनाक एस्थेस्टोस, ड्रिफ्ट नेट मछली पकड़ना, और CITES-सूचीबद्ध वन्यजीव उत्पादों का व्यापार।

मानक नियम व शर्तें

1. स्वीकृति और संवितरण

1. मैं समझता/ती हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि ऋणदाता मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों के आधार पर बैंक ("सुविधा") के समक्ष गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों/गहनों के विरुद्ध ऋण प्रदान कर सकता है और यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई सूचना, तथ्य, दस्तावेज या लेख गलत, मनगढ़ंत, दोषपूर्ण, 18 कैरेट से कम पाया जाता है, तब सीजीसीएल, मानक शर्तों के खंड 7 के तहत इसके लिए उपलब्ध अधिकारों का उल्लंघन करने के अलावा और इस आवेदन के एक भाग का गठन करने वाली शर्तों के अनुसार मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के अपने अधिकारों को उपयोग कर सकता है। मैं समझता/ती हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि बैंक आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रयोजन के लिए मुझे (प्रत्येक संवितरण को 'लोन' कहा जाता है) ऋण प्रदान कर सकता है।

2. मैं समझता/ती हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि सीजीसीएल के एकमात्र विवेक पर 3 (तीन) वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए ऋण का विस्तार किया जा सकता है और इस संबंध में सीजीसीएल से लिखित अनुरोध करने पर ही और उपरोक्त पर सीजीसीएल का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। परन्तु, मैं समझता/ती हूँ और सहमत हूँ कि ऋण का प्रारंभिक अनुदान केवल आवेदन प्रपत्र में निर्धारित अवधि (प्रधान नियत तारीख के साथ) के लिए होगा और उसके बाद ऋणदाता समय-समय पर अवधि (और संबंधित मूल नियत तारीख) का विस्तार करने के लिए अपने एकमात्र स्व-विवेक का प्रयोग करेगा। बशर्ते कि, ऋणदाता द्वारा विस्तार की सूचना देने के लिए लिखित या इलेक्ट्रॉनिक संचार के अभाव में, जैसा भी मामला हो, अंतिम रूप से सूचित अवधि एवं मूल देय तिथि को अंतिम माना जाएगा और ऋणदाता द्वारा इस आवेदन पत्र का हिस्सा बनने वाले मानक नियमों और शर्तों के खंड 7 के अंतर्गत ऋणी द्वारा किए गए किसी भी चूक की स्थिति में ऋणदाता द्वारा शुरू किए गए कदमों को चुनौती देने का ऋणी को अधिकार नहीं है, इस आधार पर कि ऋण की अवधि के विस्तार के संबंध में सीजीसीएल द्वारा कोई मौखिक आश्वासन / वचनबद्धता / पुष्टि दी गई थी।

3. मैं समझता/ती हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि यदि ऋणदाता सुविधा के लिए मेरा अनुरोध स्वीकार करता है और सुविधा को स्वीकृत करता है तो ऋणदाता मेरे बैंक खाते में ऋण का वितरण कर सकता है। यदि स्वीकृत सुविधा रु. 20,000/- रुपये (केवल बीस हजार रुपये) है, तो ऋणदाता केवल अपने विवेकानुसार ही उसे नकद रूप में भी संवितरित कर सकता है, जो मेरे और ऋणदाता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा, और ऋणदाता किसी भी तरह से, मेरे द्वारा नकदी द्वारा ऋण के संवितरण के बारे में किए गए अनुरोध को स्वीकार करने के लिए बाध्य है।

2. ब्याज, अन्य शुल्क और भुगतान

1. मैं समझता हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि ऋण पर ब्याज और प्रभार लेन-देन दस्तावेज में निर्दिष्ट रूप से वसूल किए जाएंगे और मैं यह स्वीकार करता हूँ कि निर्दिष्ट ब्याज की दर उचित है और इस तरह के इच्छित परिवर्तन के बारे में पूर्व लिखित सूचना के साथ ऋणदाता द्वारा भावी रूप से निर्धारित किया जा सकता है।

2. मैं समझता हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि सभी आयकर, कोई अन्य कर देनदारियां, स्टांप शुल्क और संबंधित पंजीकरण सहित शुल्क और सुविधा (जैसा लागू है) के संबंध में दाखिल शुल्क करना मेरे द्वारा वहन किया जाएगा और यदि ऋणदाता द्वारा मेरे खाते में ऐसी कोई लागत उपगत की जाती है, तो मैं उसे ऋणदाता को तत्काल प्रतिपूर्ति करूंगा।

3. मैं समझता/ती हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि ब्याज 365 दिनों या 366 दिनों के लीप वर्ष के लिए वास्तविक/पुनर्निर्धारण शेष पर लिया जाएगा और ब्याज मासिक अंतराल पर तब तक देय होगा जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

4. मैं समझता/ती हूँ और सहमत हूँ कि ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट दंडात्मक शुल्क, मूल राशि या सुविधा के संबंध में देय किसी अन्य राशि का समय पर भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में प्रभारित किया जाएगा।

5. मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि मैं संबंधित नियत तारीख को या उसके पूर्व प्रत्येक भुगतान (बिना किसी नियत तारीख के, प्रति दावा या किसी कटौती के) करूंगा और यदि नियत तारीख एक कार्य दिवस नहीं है, तो मैं पिछले कारोबारी दिवस पर भुगतान करने के लिए सहमत हूँ।

6. यह उधारकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह ग्राहक द्वारा स्वीकार किए गए ऋण के सबसे महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों में उल्लिखित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार नियत तारीखों पर ब्याज का भुगतान करे, ताकि ऋण खाते में दंडात्मक शुल्क लगाने से बचा जा सके।

3. स्वर्ण के सम्बन्ध में शर्तें

1. मैं समझता/समझती हूँ और सहमत हूँ कि मैं पूर्ण स्वामी हूँ और स्वर्ण- आभूषण/आभूषण (साथ ही ऐसे आभूषणों से जुड़े किसी भी पत्थर या हीरे सहित) का वैध कब्जा मेरे पास है और इसे मैंने वैध/वास्तविक स्रोत से प्राप्त किया है, [जिससे संबंधित दस्तावेज मेरे द्वारा विधिवत प्रस्तुत किए गए हैं] जो ऋणदाता के पास रखे जाने वाले एक सीलबंद पैकेट में प्रथम और अनन्य प्रभार (गिरवी रखी गई वस्तुएं) के रूप में गिरवी रखे गए हैं।

2. मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि ऋणदाता बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस दिए, ऋण की अवधि के दौरान ऐसे सीलबंद पैकेट खोलने और गिरवी रखी गई वस्तुओं की गुणवत्ता, मूल्य या शुद्धता के संबंध में जांच करने का हकदार होगा (जिसमें वजन परीक्षण / रंग परीक्षण / पत्थर रगड़ना, एसिड और नमक परीक्षण / फ्लक्स परीक्षण / गंध परीक्षण / ध्वनि परीक्षण / प्रयोज्यता परीक्षण / पिघलना / काटना / गिरवी रखी गई वस्तुओं पर

विनाशकारी पराक्षण या अन्य पराक्षण शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) ऐसा अवांछित के दौरान किसी भी समय मर जाँखम और लागत पर और मैं इसके लिए सहमति प्रदान करता हूँ। मैं समझता/ती हूँ, सहमत हूँ और वचन देता/ती हूँ कि ऋणदाता के निष्कर्ष अंतिम और बाध्यकारी होंगे और मैं किसी भी तरह से उन पर विवाद नहीं करूँगा।

3. मैं समझता/ती हूँ और सहमत हूँ कि मेरे द्वारा ऋणदाता को दी गई गिरवी रखी गई वस्तुएं और अन्य कोई प्रतिभूति केवल तभी मुक्त की जाएंगी जब मैं ऋण के अंतर्गत बकाया राशि का ऋणदाता की संतुष्टि के लिए पूर्ण भुगतान कर दूँगा।

मैं समझता/ती हूँ और सहमत हूँ कि गिरवी रखी गई वस्तुओं पर मेरा अधिकार दोषपूर्ण नहीं है या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से चुनौती नहीं दी गई है। इसके अलावा, गिरवी रखी गई वस्तुएँ नकली या घटिया गुणवत्ता की नहीं हैं।

4. मैं समझता/ती हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि चोरी या आग, बाढ़, भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण गिरवी रखी गई वस्तुओं के नुकसान की स्थिति में ऋणदाता का दायित्व ऋणदाता के रिकॉर्ड के अनुसार गिरवी रखे गए लेखों में स्वर्ण के मूल्य के बराबर राशि के साथ खोए हुए गिरवी रखे गए वस्तुओं को उपलब्ध कराने तक सीमित है, जिसके लिए ऋणदाता अपने सभी बकाया बकायों को समायोजित करने के बाद और आगे, कि प्रतिस्थापन लागत की गणना वजन और शुद्धता के रूप में (जैसा कि ऋणदाता के रिकॉर्ड में बनाए रखा गया है) और प्रकाशित डेटा के अनुसार सोने की मौजूदा तारीख मूल्य के परिकलन के अनुसार किया जाएगा और यह अंतिम और एवं मेरे लिए बाध्यकारी होगा।

4. गिरवी रखी गई वस्तुओं का मूल्यांकन

1. मैं समझता/ती हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि गिरवी रखी गई वस्तुओं का मूल्यांकन ऋणदाता द्वारा अधिकृत और नियुक्त एक मूल्यांकन-कर्ता द्वारा किया जाएगा और ऋण राशि का अवधारण ऋणदाता द्वारा गिरवी रखी गई वस्तुओं के मूल्य के आधार पर किया जाएगा जैसा कि मूल्यांकन-कर्ता द्वारा पेश किए मूल्यांकन रिपोर्ट में निर्धारित किया गया है, जिसका मतलब है कि केवल ऋण के संवितरण के प्रयोजनों के लिए लगाया जाएगा और यदि कोई हो तो उसे अंतिम नहीं माना जाएगा। इस तरह का मूल्यांकन उन कारकों, जिनमें समय-समय पर स्वर्ण सुरक्षा के बाजार मूल्य में परिवर्तन, ऋण के संवितरण के बाद किसी भी स्तर पर सीजीसीएल द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा, जहाँ गिरवी रखे गए वस्तुओं पर 18.00 कैरेट से कम शुद्धता पाई जाती है, के अधीन परिवर्तन का विषय होगा।

2. मैं समझता/ती हूँ, सहमत हूँ और पुष्टि करता/ती हूँ कि ऋणदाता के रिकॉर्ड में दर्ज गिरवी रखी गई वस्तुओं का मूल्य स्वीकार्य, निर्णायक, अंतिम और मेरे लिए बाध्यकारी है और इस पर किसी भी समय किसी भी तरह से विवाद नहीं किया जाएगा।

3. मैं समझता/ती हूँ और सहमत हूँ कि ऋणदाता द्वारा मुझे ऋण स्वीकृत किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि ऋणदाता यह पुष्टि करता है या स्वीकार करता है कि गिरवी रखे गए सोने के आभूषण एक विशेष कैरेट शुद्धता के समतुल्य हैं।

4. मैं समझता/ती हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि यदि गिरवी रखी गई वस्तुएँ नकली या घटिया या कम शुद्धता वाला या चोरी का पाया जाता है, तो ऋणदाता के पास उचित जांच/आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है और इसके कारण यदि ऋणदाता द्वारा किया गया कोई नुकसान, तो मैं इसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी और जिम्मेदार होऊँगा।

5. मैं समझता/ती हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि किसी भी मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए गिरवी रखे गए वस्तुओं के केवल स्वर्ण घटक पर विचार किया जाएगा और ऋणदाता किसी भी समय हानि प्रतिस्थापन के समय सहित किसी भी समय आभूषणों और आभूषणों में जड़ित पत्थर या हीरे के मूल्य पर विचार नहीं करेगा।

5. मार्जिन

1. मैं समझता/ती हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि लेन-देन दस्तावेज के तहत बकाया राशि गिरवी रखे गए वस्तुओं के मूल्य के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जैसा कि ऋणदाता के रिकॉर्ड या ऐसे अन्य प्रतिशत में समय-समय पर निर्धारित किया गया है। यदि इस सुविधा के लिए कुल बकाया राशि कुल गिरवी रखे गए वस्तुओं की कीमत के 80 प्रतिशत (अस्सी प्रतिशत) से अधिक हो जाती है, तो उस दर की जानकारी मुझे दी जाएगी, जिसके आगे बढ़ने के लिए मैं या तो गिरवी रखे गए मदों के लिए अतिरिक्त स्वर्ण प्रतिभूति 14 (चौदह) दिन के भीतर गिरवी रखे गए मदों के मूल्य के 75% को सूचित करूँगा या बकाया ऋण राशि का भुगतान कर दूँगा जिसमें लागू ब्याज, प्रभार, शुल्क आदि शामिल हैं।

2. मैं समझता/ती हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि गिरवी रखे गए वस्तुओं के मूल्य की नियमित आधार पर निगरानी की जाएगी और यदि गिरवी रखे गए मदों का मूल्य बाजार मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण मार्जिन आवश्यकताओं से कम है, तो ऋणदाता आंशिक या पूर्ण रूप से अतिरिक्त प्रतिभूति या ऋण के पुनर्भुगतान की मांग कर सकता है और मैं ऐसी मांग का तुरंत अनुपालन करूँगा और ऐसी मांग के 14 (तीन) दिनों के बाद की किसी भी स्थिति में ऐसी मांग को पूरा करूँगा।

3. मैं समझता/ती हूँ और सहमत हूँ कि अतिरिक्त मार्जिन आवश्यकताओं का अनुपालन करने में मेरे द्वारा असफल होने की स्थिति में, मार्जिन बनाए रखने में प्रत्येक ऐसे उल्लंघन के लिए लागू अतिरिक्त शुल्क, ऋणदाता द्वारा लगाया जाएगा और बिना किसी विलंब, आपत्ति या विरोध के मुझे उसका भुगतान करना होगा।

4. मैं समझता/ती हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि इसमें उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, यदि ऋणदाता की राय में, गिरवी रखे गए लेखों का मूल्य मेरे दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं है या यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जो इन मानक शर्तों के तहत अपने दायित्वों

को पूरा करने का मंरा क्षमता को भाँतिक रूप से प्रभावित कर सकती है, तो ऋणदाता इन मानक शर्तों के खंड 7 में उल्लिखित प्राक्रिया के अनुसार अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय नीलामी द्वारा गिरवी रखे गए वस्तुओं को बेच सकता है और मैं इसके लिए सहमत हूँ और किसी भी समय इस पर कोई विवाद नहीं करूँगा/करूँगी। इसके अलावा, यदि बकाया राशि कुल मूल्य आधार के 100% से अधिक हो जाती है तो अनुमोदित मूल्य महीने के लिए नीलामी योग्य गिरवी रखे गए वस्तुओं का हिस्सा होगा और ऐसी नीलामी यहां के खंड 7.8 के अनुसार संचालित की जाएगी।

6. वाचाएँ

1. मैं समझता/ती हूँ और सहमत हूँ कि मैं ऋणदाता को सभी नुकसानों, खर्चों, शुल्कों, क्षतियों, लागतों और देनदारियों (किसी तीसरे पक्ष द्वारा दावों के कारण होने वाले नुकसान सहित) के लिए क्षतिपूर्ति करूँगा, क्षतिपूर्ति बनाए रखूँगा और हानिरहित रखूँगा, जो ऋणदाता द्वारा किसी भी लेन-देन दस्तावेज के उल्लंघन या सुविधा या गिरवी रखी गई वस्तुओं के संबंध में किए गए किसी भी गलत बयान के परिणामस्वरूप हुआ है। मैं समझता/ती हूँ और सहमत हूँ कि मैं ऋण के संबंध में किसी भी लागत और व्यय के लिए ऋणदाता को बिना किसी देरी, आपत्ति या विरोध के प्रतिपूर्ति करूँगा, जिसमें प्रतिभूतियों का बीमा करने की लागत, प्रवर्तन लागत, सभी करों के बकाया के भुगतान की लागत और सरकार के किसी भी अन्य शुल्क आदि शामिल हैं।
2. मैं समझता हूँ और इस बात पर सहमत हूँ कि मैं यहां किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए (प्राथमिक स्वर्ण, स्वर्ण बुलियन, स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयों और स्वर्ण म्यूचुअल फंड्स की इकाइयों सहित) सुविधा का उपयोग नहीं करूँगा।
3. मैं समझता/ती हूँ और स्वीकार करता हूँ कि भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 या किसी अन्य लागू कानून या लेन-देन दस्तावेज में किसी बात के होते हुए भी, मेरे द्वारा भुगतान की गई राशि को पहली बार लागत, प्रभार और व्यय तथा अन्य राशियों, दूसरी विलंबित भुगतान पर प्रभार, तीसरा लेन-देन दस्तावेजों के तहत देय ब्याज के लिए और अंतिम रूप से किसी प्रमुख राशि की अदायगी के लिए विनियोजित किया जाएगा।
4. मैं समझता/ती हूँ और सहमत हूँ कि मैं ऋणदाता द्वारा समय-समय पर अपेक्षित सभी दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत करूँगा और ऋणदाता द्वारा समय-समय पर आवश्यक समझी गई किसी भी जानकारी को स्वयं या उसके एजेंटों के माध्यम से सत्यापित कर सकता हूँ, और क्रेडिट संदर्भ, रोजगार विवरण की जांच कर सकता है और ऋण रिपोर्ट या अन्य जानकारी प्राप्त कर सकता है।

7. चूक की घटनाएँ मैं समझता/ती हूँ और सहमत हूँ तथा स्वीकार करता हूँ कि निम्नलिखित में चूक की घटनाएँ शामिल होंगी:

1. लेन-देन दस्तावेजों या सीजीसीएल से प्राप्त किसी अन्य सुविधा के तहत किसी भी धनराशि (चाहे बताई गई नियत तिथि पर, एसिलरेशन द्वारा या अन्यथा) के भुगतान/पुनर्भुगतान में चूक हुई है।
2. लेन-देन दस्तावेजों के किसी भी अनुबंध के प्रदर्शन में चूक (भुगतान चूक के अलावा) और ऐसे अनुबंध को ऐसे उल्लंघन के 3 (तीन) दिनों के भीतर ठीक नहीं किया जाता है।
3. इस घटना में, मैं दिवालिया हो गया हूँ, या इस बात की उचित आशंका है कि मैं स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से किसी दिवालियापन या दिवालियापन कानून के तहत कार्यवाही का विषय बन जाऊँगा।
4. मेरे द्वारा 3 किस्तों या बकाया राशि के भुगतान में चूक की स्थिति में।
5. ऋणी की मृत्यु की स्थिति में, या ऋणी द्वारा दिवालियापन का कार्य करने की स्थिति में।
6. यदि गिरवी रखी गई वस्तुएँ या इसके अंतर्गत प्रदान की गई कोई अन्य प्रतिभूति, यदि कोई हो, बाजार मूल्य में परिवर्तन या किसी अन्य कारण से समय-समय पर निर्धारित आवश्यक मार्जिन से कम हो जाती है, और 5.1 के अनुसार इसकी भरपाई करने में विफल रहती है, जिसके परिणामस्वरूप बकाया ऋण और/या ब्याज की वसूली के लिए प्रतिभूति असंतोषजनक हो जाती है।
7. यदि किसी भी लेन-देन दस्तावेज के तहत मेरे किसी भी अभ्यावेदन को झूठा, भ्रामक या गलत पाया जाता है।
8. गिरवी रखी गई वस्तु की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी प्रणालीगत धोखाधड़ी का पता चलने पर।
9. यदि कुल बकाया राशि गिरवी रखी गई वस्तु के मूल्य के 75% से अधिक हो जाती है।
10. यदि लेन-देन दस्तावेजों के तहत किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने/पूरा करने में मैं विफलता रहता हूँ।

उपरोक्त खंड 7.1 से 7.9 में उल्लिखित किसी भी चूक के मामले में, सीजीसीएल मुझे नोटिस भेजेगा जिसमें मुझसे कहा जाएगा कि:- (क) चूक/दोष को ठीक करूँ; (ख) सुविधा के बकाया शेष को ब्याज सहित और लेनदेन दस्तावेजों के अनुसार देय सभी राशियों का तुरंत भुगतान करूँ; (ग) सुविधा के संबंध में मेरे द्वारा किए गए किसी भी कार्य या चूक के कारण ऋणदाता द्वारा उठाए गए सभी दावों, लागतों, हानियों और खर्चों का भुगतान करूँ और/या बकाया राशि (कानूनी/वकील शुल्क सहित) की वसूली उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 14 (चौदह) दिनों के भीतर करूँ। यदि मैं निर्धारित समय के भीतर चूक को सुधारने में असफल रहता हूँ, तो सीजीसीएल मुझे दूसरा नोटिस भेजेगा, जिसमें मुझे सूचित किया जाएगा कि चूंकि मेरे द्वारा चूक को सुधारा गया है/नहीं सुधारा गया है, इसलिए सीजीसीएल उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 14 (चौदह) दिनों के बाद उक्त नोटिस में उल्लिखित दिन, समय और स्थान पर गिरवी रखी गई वस्तुओं की नीलामी करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. मैं समझता हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि 14 दिनों की सूचना देने के बाद ऋणदाता द्वारा देशी भाषा के दैनिक समाचार पत्रों में एक विज्ञापन और राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में एक अन्य विज्ञापन देकर नीलामी की जाएगी जिसके बारे में मैं सहमत हूँ कि वह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 176 के प्रयोजनों के लिए एक उचित अवधि है। मैं समझता/ती हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य पिछले 30 दिनों के औसत 22 कैरेट सोने के मूल्य के 85 प्रतिशत से कम नहीं होगा, जैसा कि बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा घोषित किया गया है।

13. मैं समझता हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि मुझे पंजीकृत पत्र/कैरियर सेवा, एसएमएस या टेलीफोन या व्यक्तिगत सूचना या ईमेल के माध्यम से या सीजीसीएल द्वारा सार्वजनिक नीलामी के लिए गिरवी रखे गए वस्तुओं के विषय में किसी अन्य माध्यम से सूचित किया जाएगा। पते/ई-मेल/मोबाइल सहित मेरे पत्राचार विवरण में किसी भी परिवर्तन के मामले में मैं सीजीसीएल को सीजीसीएल के रिकॉर्ड में अपने पत्राचार विवरण को अपडेट करने के लिए अनुरोध के साथ लिखित रूप में सूचित करूंगा। इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति के बाद, सीजीसीएल मेरे द्वारा इस तरह के अनुरोध प्राप्त करने की तारीख और समय का उल्लेख करते हुए एक रसीद/लिखित या इलेक्ट्रॉनिक पुष्टि जारी करेगा। सीजीसीएल अपने रिकॉर्ड में ऋणियों के पत्राचार विवरण को अपडेट करेगा और 30 दिनों की अवधि के भीतर ऋणियों को इसकी पुष्टि करेगा। यदि मैं अपने पत्राचार विवरण में इस तरह के परिवर्तन के बारे में सीजीसीएल को सूचित नहीं करता हूँ, तो सीजीसीएल अपने सभी संचार, सूचनाएं, नोटिस आदि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिए गए अंतिम पते पर मुझे भेजेगा और ऐसे संचार, सूचनाएं, नोटिस आदि मुझे भेजे गए माने जाएंगे और सीजीसीएल अपनी नीतियों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा।

14. मैं समझता हूँ कि नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संबंधित नियामकों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

15. मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि गिरवी रखे गए सामान की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग ऋण के तहत बकायों की अदायगी के लिए किया जाएगा और यदि इस प्रकार वसूल की गई राशि बकाया बकायों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है तो ऋणदाता को अपने विवेकानुसार आगे की कार्रवाई करने का अधिकार है।

16. मैं समझता हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि सीजीसीएल सोशल मीडिया सहित सार्वजनिक क्षेत्र में मेरे और मेरी चूक के बारे में जानकारी का खुलासा और प्रकाशन करेगी।

17. मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि सीजीसीएल उक्त सुविधा का लाभ उठाने के लिए निष्पादित किसी लागू कानून या लेनदेन दस्तावेजों के तहत उसे उपलब्ध किसी भी अधिकार को लागू करेगा।

8. अतिरिक्त सुविधाएँ

1. मैं समझता हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि मैं ऑनलाइन सुरक्षित प्लेटफॉर्म (ऑनलाइन सुविधा) का उपयोग करके और/अतिरिक्त सुविधाओं के लिए आवेदन कर सकता हूँ या ऋणदाता के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। ऋणदाता अपने विवेकाधीन ऐसे अतिरिक्त ऋण का विस्तार ऋणदाता के ऋण मापदंडों को पालन करते हुए और आवश्यक सभी दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत कर सकता है। मैं समझता हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि ऋणदाता को गिरवी रखी गई वस्तुओं और उसकी बिक्री से प्राप्त किसी भी आगम के संबंध में समय-समय पर ऋणदाता से प्राप्त की गई अन्य सुविधाओं के संबंध में ग्रहणाधिकार एवं समायोजन का अधिकार होगा।

9. विविध

1. मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि मेरे द्वारा दिया जाने वाला कोई भी नोटिस या अनुरोध लिखित रूप में होना चाहिए। सभी नोटिस या अनुरोध उस पक्ष द्वारा विधिवत प्राप्त माने जाएंगे, जिसे वे संबोधित हैं, यदि वे नीचे निर्दिष्ट पते पर या ऐसे अन्य पते पर दिए गए हैं, जिस पर सहमति हो सकती है: ऋणदाता के लिए पंजीकृत कार्यालय: कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, 502, टॉवर - ए, प्रायद्वीप बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013 मेरे लिए: आवेदन पत्र में बताया गया पता उचित है।

2. मैं समझता हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि लेन-देन दस्तावेज या उसके निष्पादन से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी दावों और विवादों का निपटारा एक एकल मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा, जिसे ऋणदाता और मेरे द्वारा परस्पर नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थता का स्थान मुंबई में होगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत या तत्काल लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या फिर से संशोधन के तहत मध्यस्थता का संचालन किया जाएगा और ऐसे मध्यस्थों का अधिनिर्णय अंतिम और ऋणदाता पर बाध्यकारी होगा।

3. मैं समझता हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि ऋणदाता किसी अन्य समझौते पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर मेरे (चाहे अकेले या संयुक्त रूप से किसी अन्य या अन्य के साथ) से संबंधित किसी अन्य धन, राशि, प्रतिभूतियों और अन्य संपत्ति को ऋणदाता के कब्जे में या उसकी किसी सहायक/सहायक/सहयोगी कंपनी में से किसी के कब्जे में या बैंक द्वारा मुझे दी गई किसी सुविधा के तहत या उसके भुगतान के लिए उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

4. मैं समझता हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि ऋणदाता मेरे लिए एकमात्र जोखिम और लागत के आधार पर एक या अधिक इकाई या व्यक्ति (व्यक्तियों) को मेरे बकायों को एकत्र करने के लिए संलग्न करने का हकदार होगा और आगे इस तरह की जानकारी, तथ्यों और आंकड़ों को बैंकदार उचित समझता है। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि ऋणदाता या ऋणदाता द्वारा इस संबंध में नियुक्त कोई तीसरा पक्ष मुझे एक टेलीकॉल या एसएमएस या ईमेल या डिजिटल संचार के किसी अन्य उपयुक्त रूप के माध्यम से या निवास/व्यवसाय के स्थान पर भौतिक यात्रा के माध्यम से उचित राशि के भुगतान के संबंध में याद दिला सकता है और बकाया की वसूली के लिए कोई टेली कॉल या व्यक्तिगत दौरा मुझे सुबह 8 बजे से 7

बज के बीच किया जाएगा और इस सबध में सीजीसीएल द्वारा किए गए संचार / रिमाइड के इस तरह के आतिरक्त तरीकों को सीजीसीएल को और से अनिवार्य नहीं माना जाएगा और यह केवल सीजीसीएल के विवेक पर ही किया जाएगा। मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि मैं सीजीसीएल द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले संचार के ऐसे अतिरिक्त तरीकों पर जोर देने का हकदार नहीं हूँ, जैसा कि इस फॉर्म में विस्तार से उल्लेख किया गया है, जिसमें नीलामी, सेट-ऑफ आदि का संचालन करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

5. मैं समझता हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि ऋणदाता किसी भी समय लेनदेन दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार, लाभों और दायित्वों का आवंटन या हस्तांतरण कर सकता है।

6. मैं समझता हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि ऋणदाता अपने उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त सुविधाओं के तहत सीजीसीएल के ऐसे अधिकारों और दायित्वों के हस्तांतरण के लिए सह-स्थानों में प्रवेश कर सकता है, जैसा कि इसके सह-ऋण देने के अनुबंध तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 5 नवंबर, 2020 जारी किए गए निदेश FIDD.CO.Plan.BC.No.8/ 04.09.01/2020-21 या किसी अन्य अधिसूचना/सर्कुलर/दिशा-निर्देश के अनुसार हो सकता है और इसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है। मैं इस तरह की सह-उन्मूलन की सभी शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ और प्रयास करता हूँ, जैसा कि इस तरह की सह-लम्बी व्यवस्था के कारण संशोधित किया जा सकता है।

7. मैं समझता/ती हूँ और सहमत हूँ कि सभी लेन-देन केवल व्यावसायिक दिनों में ऋणदाता के नियमित कार्य घंटों के दौरान ही निष्पादित किए जाएंगे।

8. मैं समझता/ती हूँ और सहमत हूँ कि ऋणदाता इन मानक शर्तों की शर्तों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें किसी भी लागू कानून में परिवर्तन के कारण ब्याज दर में कोई भी परिवर्तन शामिल है, जिसकी सूचना मुझे देकर दी जा सकती है।

9. मैं समझता/ती हूँ और सहमत हूँ कि प्रदान की गई सुविधा का उपयोग करके, मैं बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से यहाँ सूचीबद्ध नियमों और शर्तों को स्वीकार कर रहा हूँ और जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है और मैं उनका पालन करूँगा और हर समय उनसे बंधा रहूँगा।

10. एफ ए टी सी ए: मैं समझता/ती हूँ, सहमत हूँ और इसके द्वारा पुष्टि करता हूँ कि मैं भारत का नागरिक और स्थायी निवासी हूँ और भारत की कर व्यवस्था के अधीन हूँ।

11. गिरवी: सुविधा को सुरक्षित करने के लिए सोने के आभूषण CGCL (सीजीसीएल) के पास जमा कर दिए गए हैं और गिरवी रखे गए लेखों के केवल सोने के हिस्से को ही मूल्यांकन के लिए माना जाएगा।

12. मार्जिन: उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि हर समय बकाया कुल राशि गिरवी रखी गई वस्तुओं के मूल्य के 75% से अधिक न हो या समय-समय पर ऋणदाता द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य प्रतिशत से अधिक न हो।

13. नीलामी: सीजीसीएल अपनी नीति के अनुसार और इन मानक शर्तों के खंड 7 में दिए गए अनुसार किसी भी चूक की घटना के मामले में आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार गिरवी रखी गई वस्तुओं की नीलामी शुरू कर सकता है।

14. शिकायत निवारण अधिकारी: दस्तावेज प्राप्त करने या किसी भी शिकायत और शिकायत के मामले में किसी भी सेवा-संबंधी मुद्दे के लिए, उधारकर्ता लिखित रूप से, मौखिक रूप से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-मेल, वेबसाइट, टेलीफोन और नीचे दिए गए तरीकों से संवाद कर सकता है। उधारकर्ता निम्नलिखित में से किसी भी चैनल के माध्यम से हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकता है: -

(A) सोमवार से शुक्रवार (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच 1800-102-102-1 (टोल फ्री) पर हमारे कॉल सेंटर के साथ टेलीफोन पर बातचीत करके।

(B) ई-मेल के माध्यम से: caregl@capriglobal.in

(C) ग्राहक सेवा - गोलड लोन, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, 502, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013 को संबोधित लिखित पत्र के माध्यम से।

(D) सेवा शाखा में जाकर और हमारी शाखाओं में रखे गए शिकायत रजिस्टर में शिकायत दर्ज करके।

(E) उधारकर्ता अपनी शिकायत नोडल अधिकारी: श्री सुहास कांडलगावकर (ई-मेल: nodalofficer@capriglobal.in या फ़ोन: 022 41799738) के पास भी भेज सकता है।

15. ग्राहक सेवा:

(A) ऋणी सोमवार से शुक्रवार (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच सेवा शाखा में आ सकते हैं।

(B) ऋणी सोमवार से शुक्रवार (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच 1800-102-102-1 (टोल फ्री) पर हमारे कॉल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं।

(C) ऋणी ई-मेल caregl@capriglobal.in के माध्यम से ग्राहक सेवा से संपर्क कर सकते हैं।

10. परिसंपत्तियों का वर्गीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 12 नवंबर 2021 को जारी "आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड – स्पष्टीकरण" पर उनकी अधिसूचना के अनुसार, मैं, उधारकर्ता निम्नलिखित ऋण वर्गीकरण संरचना पर ध्यान दूंगा:

वर्गीकरण	डीपीडी	विवरण
एसएमए-0	30 दिन तक	यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और इस तिथि के लिए दिन-अंत प्रक्रिया से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 2021 होगी, इसे 31 मार्च, 2021 को एसएमए-0 के रूप में टैग किया जाएगा।
एसएमए-1	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक	उपरोक्त से आगे बढ़ते हुए, यदि खाता लगातार अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 अप्रैल, 2021 को दिन के समापन की प्रक्रिया चलाने पर एसएमए-1 के रूप में टैग किया जाएगा, अर्थात् लगातार अतिदेय रहने के 30 दिन पूरे होने पर।
एसएमए-2	60 दिन से अधिक और 90 दिन तक	उपरोक्त को आगे बढ़ाते हुए, यदि खाता लगातार अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को दिन की समाप्ति की प्रक्रिया चलाने पर एसएमए-2 के रूप में टैग किया जाएगा, अर्थात् लगातार अतिदेय रहने के 60 दिन पूरे होने पर।
गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए)	90 दिन से अधिक	उपरोक्त से आगे बढ़ते हुए और यदि आगे भी अतिदेय रहना जारी रहता है, तो इसे 29 जून, 2021 को दिन के समाप्त होनी की प्रक्रिया चलाने पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। एक बार जब कोई खाता एनपीए हो जाता है, यानी, दिनों के लिए अतिदेय रहता है, तो इसे तब तक एनपीए के रूप में टैग किया जाएगा जब तक कि यह सभी अतिदेय राशि* का भुगतान नहीं कर देता है और इसका डीपीडी शून्य नहीं हो जाता है। किए गए किसी भी आंशिक भुगतान से एनपीए की स्थिति में बदलाव नहीं होगा।

* अतिदेय राशि, पुनर्भुगतान कार्यक्रम के अनुसार बकाया ब्याज या मूलधन या दोनों हैं

जीएसटी घोषणा

पंजीकृत संस्था का नाम	जीएसटी संख्या	जीएसटी पंजीकृत पता	राज्य
NA	NA	NA	NA

मैं/हम जो पर रहते हैं और घोषणा करते हैं और वचन देते हैं कि:

- मैं/हम घोषणा करते और स्वीकार करते हैं कि मैंने/हमने ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड से संपर्क किया है और कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड ऋण दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों पर मुझे/हमें उक्त ऋण देने के लिए सहमत हो सकता है।
- मैं घोषणा करता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मैं वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (यहां जीएसटी अधिनियम के रूप में संदर्भित) नियम और विनियम के अधीन पंजीकृत हूँ और/या यदि मुझे/हमें उचित समय पर जीएसटी अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाता है, तो मैं/हम समय-समय पर मेरे लिए लागू किसी भी नियम का पालन करूँगा।
- मैं/हम घोषणा करते और कहते हैं कि कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड को दिए गए उपरोक्त जीएसटी विवरण सही और वास्तविक हैं और मैं/हम अपने जीएसटी संबंधित विवरणों में किसी भी परिवर्तन के मामले में कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड को सूचित और अद्यतन करने का कार्य करूँगा।
- मैं इस बात से सहमत हूँ कि कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड को जीएसटी से संबंधित विवरण में किसी भी बदलाव को कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड द्वारा ऐसे परिवर्तन अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से संभावित रूप से लागू किया जाएगा।
- मैं यह घोषणा करता/ती हूँ और कहता/ती हूँ कि अगर जीएसटी अधिनियम के तहत हम पंजीकृत हैं, तो हम जीएसटी संख्या और अन्य जीएसटी संबंधित विवरणों का प्रमाण पत्र कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड को सौंपेंगे।
- मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और इस बात पर सहमत हूँ कि कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड जीएसटी क्रेडिट की किसी भी गैर-प्राप्ति/कम प्राप्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मेरी ओर से कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड को दी गई गलत/त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी देने के कारण होगा।
- ऐसी स्थिति में, जब कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड लगाए गए शुल्क के संबंध में क्रेडिट नोट जारी करता है, मैं/हम उस महीने के भीतर, जिसमें विसंगति के बारे में सूचित किया गया है, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करूँगा, यदि कोई हो। यदि इसे ठीक नहीं किया गया है (किसी भी कारण के लिए), जो कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के लिए किसी अतिरिक्त दायित्व (चाहे कर, ब्याज, दंड या अन्य रूप में) के परिणामस्वरूप मैं/हम कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड को ऐसी राशि का भुगतान और/या प्रतिपूर्ति करूँगा।
- ऐसी स्थिति में, जब हम कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड को आवश्यक जीएसटी संबंधित जानकारी नहीं देते हैं, तो कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड हमें 'अंजीकृत' मान कर तदनुसार आगे बढ़ सकता है।
- ऋण दस्तावेज में 'सर्विस टैक्स', 'वैल्यू एडेड टैक्स' या 'वैट' शब्दों के संदर्भ में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में पढ़ा जाएगा और तदनुसार लागू दर के अनुसार कर एकत्र किए जाएंगे।
- मुझे पता है कि यह हमारे पूर्वोक्त वचनों पर विश्वास करने पर है कि कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड कथित ऋण का संवितरण कर सकता है या ऐसी सुविधा जारी रख सकता है।

Signed by OTP ()



कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 502, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल,
मुंबई • ईमेल: caregl@capriglobal.in | टोल फ्री नंबर: 1800-102-102-1.

CAPRI
LOANS



स्वर्ण आभूषणों के स्वामित्व की घोषणा और सत्यापन*

यह घोषणा गिरवी रखे गए आभूषणों के स्वामित्व की पुष्टि एवं सत्यापन हेतु ऋण संख्या के विरुद्ध - से प्राप्त की जा रही है।

मेरे द्वारा प्रदान किया गया सोना है।

Jआभूषण का विवरण	मद संख्या	तस्वीर	कुल वजह (ग्राम में)
-----------------	-----------	--------	---------------------

Capri Loans App par sab **spasht aur saral**



SCAN TO
DOWNLOAD



Maujuda Loan pe
Top up ki sahuliyat



Aasaan byaaj
ka bhugtaan



Payeein sampoorna
loan details



Seva Anurodh
ki suvidha



ध्यान दें!

केवल आधिकारिक पुनर्भुगतान माध्यमों का उपयोग करें

प्रिय ग्राहकगण,

यह एक विनम्र लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है कि कृपया किसी भी स्थिति में Capri Loans के किसी भी कर्मचारी के व्यक्तिगत बैंक खाते में भुगतान न करें, और न ही किसी कर्मचारी को शाखा परिसर के बाहर या शाखा के निर्धारित नकद काउंटर के अलावा कहीं भी नकद राशि सौंपें।

कृपया Capri Loans के केवल निम्नलिखित आधिकारिक भुगतान चैनलों का ही उपयोग करें:

1. Capri Loans की वेबसाइट पर उपलब्ध PayNow लिंक
2. Capri Grahak मोबाइल ऐप्लिकेशन
3. BBPS-सक्षम प्लेटफॉर्म जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm आदि
4. E-Collect वर्चुअल अकाउंट (शाखा से जनरेट किया गया चालान)
5. शाखा के नकद काउंटर पर ₹19,999 तक का नकद भुगतान (कृपया सिस्टम जनरेटेड रसीद अवश्य लें)

Capri Loans अपने कर्मचारियों को सीधे भुगतान स्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं करता है। ऐसे किसी भी लेनदेन की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी और Capri Loans किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आपके सहयोग और विश्वास के लिए धन्यवाद।

सादर,

टीम Capri Loans

